न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री नवनीत कुमार
अपील संख्या : 04/2023

बसन्त कंवर पत्नी रघुनाथ सिंह, नरपत सिंह, कल्याण सिंह, किशन सिंह, नरेश कंवर, भैरू सिंह पि0 रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासीगण–ग्राम चारिया, तहसील सुजानगढ, जिला चूरू — अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री धनेश खत्री – वकील अपीलान्टगण
2. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :– 21–05–2026

यह अपील अपीलान्टगण श्रीमती बसन्त कंवर पत्नी स्व. श्री रघुनाथ सिंह, नरपत सिंह, कल्याण सिंह, किशन सिंह, नरेश कंवर, भैरू सिंह पि0 रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासीगण–ग्राम चारिया, तहसील सुजानगढ, जिला चूरू के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–05–1986 से व्यथित होकर राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीगणों ने अपने अपील मीमो में अंकित किया है कि अपीलान्टगण के पति/पिता ने भूतपूर्व सैनिक के तहत भूमि आवंटन हेतु दिनांक 29–11–1985 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके पैरा सं. 3 में सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है, का इन्द्राज है। हमारे पति/पिता ने भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र जो प्रार्थना पत्र के साथ है, उसमें पूर्ण सेवा होने के कारण दिनांक 06–11–1983 को सेवामुक्त कर दिया गया, का इन्द्राज है। इन तमाम तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलान्ट पति व पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अभाव में खारिज किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलान्ट के पति व पिता का प्रार्थना पत्र दिनांक 20–5–1986 को मुकाम रामगढ में प्रस्तुत होने की फर्द अहकाम है मगर आगामी कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। उसमें यह इन्द्राज किया गया कि निश्चित अवधि में वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर निर्णय लिया जायेगा। इसके पश्चात बिना तारीख पेशी की तथा बिना हस्ताक्षरयुक्त फर्द अहकाम है जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश है। यह आदेश बिना हस्ताक्षर होने के कारण Eye of Law में न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए भी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रार्थना पत्र से मिस्प्लेस हो गया या कमी थी तो इस बाबत अपीलान्टगण के पति/पिता को नोटिस देकर कमी पूर्ति करवाई जा सकती थी। मगर अदालत मातहत में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण के पति/पिता के पीठ पीछे व एकतरफा तौर पर की गई कार्रवाई साक्ष्य अधिनियम के तहत अपीलान्टगण के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अदालत मातहत निरस्त फरमावे।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलान्टगण की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कहा कि अपीलान्टगण के पति/पिता ने भूतपूर्व सैनिक के तहत भूमि आवंटन हेतु दिनांक 29–11–1985 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके पैरा सं. 3 में सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है, का इन्द्राज है। हमारे पति/पिता ने भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र जो प्रार्थना पत्र के साथ है, उसमें पूर्ण सेवा होने के कारण दिनांक 6–1–1983 को सेवामुक्त कर दिया गया, का इन्द्राज है। इन तमाम तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलान्ट पति व पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अभाव में खारिज किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलान्ट के पति व पिता का प्रार्थना पत्र दिनांक 20–5–1986 को मुकाम रामगढ में प्रस्तुत होने की फर्द अहकाम है मगर आगामी कोई तारीख पेशी नहीं दी गई।

Scanned with OKEN Scanner

उसमें यह इन्द्राज किया गया कि निश्चित अवधि में वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर निर्णय लिया जायेगा। इसके पश्चात बिना तारीख पेशी की तथा बिना हस्ताक्षरयुक्त फर्दअहकाम है जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश है। यह आदेश बिना हस्ताक्षर होने के कारण Eye of Law में न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए भी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रार्थना पत्र से मिस्प्लेस हो गया यो कमी थी तो इस बाबत अपीलान्टगण के पति/पिता को नोटिस देकर कमी पूर्ति करवाई जा सकती थी मगर अदालत मातहत में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज की बहस सुनी गई। पैरोकार राज का कथन है कि भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों में प्रार्थी के राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, यथा सन् 1955 की मतदाता सूची की प्रमाण प्रति तथा अन्य विश्वसनीय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना था। भूतपूर्व सैनिक को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की प्रति भी प्रस्तुत करना आवश्यक था। श्री रघुनाथ सिंह के आवेदन के साथ यह दोनों दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें 30.06.1998 को नोटिस जारी किया गया। इससे पूर्व दिनांक 09–12–1994 को भी नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे पूर्व में धारित भूमि बाबत सूचना चाही गयी थी। जब उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तब आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 17–07–1998 को मूल आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अपील करीब 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। देरी का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अपीलान्टगण के पति/पिता श्री रघुनाथसिंह का देहान्त हो चुका है। शासन की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 12–क के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में भूमि आवंटन कर दी गयी हो, लेकिन आवंटन आदेश जारी होने या आवंटित भूमि का कब्जा सौंपें जाने से पहले आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो यदि आवंटन आदेश पहले से जारी नहीं किया गया है तो नियमानुसार वारिसों के नाम आवंटन आदेश जारी किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण में श्री रघुनाथ सिंह के प्रार्थना पत्र पर सक्षमता का निर्णय नहीं लिया गया है व श्री रघुनाथ सिंह का देहान्त हो चुका है। अतः उक्त अपील के मार्फत अपीलान्टगण का कोई अनुतोष शेष नहीं रहता है। अतः अपील गुणावगुण व मियाद बाहर होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतपूर्व सैनिक को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की प्रति भी प्रस्तुत करना आवश्यक था। श्री रघुनाथ सिंह के आवेदन के साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें दिनांक 09–12–1994 एवं 30–06–1998 को नोटिस जारी किया गया। जब उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तब आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 17–07–1998 को मूल आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। अपील करीब 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है तथा वर्तमान में अपीलान्टगण के पिता श्री रघुनाथ सिंह का देहान्त हो चुका है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार भी अपीलान्टगण को गुणावगुण के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से एवं गुणावगुण के आधार पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/5/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner